फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : उमाशंकर **बनाम** **विपक्षी : कनीराम वगैरह**

किस्म मुकदमा – आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. **पत्रावली संख्या : 13/17**

जीसीएमएस नम्बर : 2017/00103

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 11.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी पर बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण संख्या 211/2013 उमाशंकर बनाम कनीराम में न्यायालय हाजा द्वारा 17.09.2013 को विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन का केवल मौखिक कथन किया है इस संबंध में दस्तावेज पत्रावली में संलग्न नही है। मौके के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत कर अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने का प्रयास किया है। परन्तु प्रार्थी यह साबित कराने में असफल रहा है कि फोटोग्राफ्स में अंकित फसल की बुवाई किसके द्वारा की गई है। क्योंकि प्रार्थीया द्वारा इसके संबंध में कोई साक्ष्य/गवाह प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतित होता हो कि उक्त फसल की बुवाई विपक्षीगण द्वारा ही करवाई गई हो। ना ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे यह प्रतित होता हो की विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि में प्रवेश कर घास काटा हो। इस प्रकार प्रार्थी स्वयं अपने प्रार्थना पत्र को साबित कराने में असफल रहा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. खारिज योग्य पाया जाता है। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:37:36 IST
Reason: SelfAttested